न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—244/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/244)

1. श्रीमती सुगनी पुत्री श्री रामसुख जाति तेली निवासी बीर तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री रामसुख
2. श्रीमती सम्पति देवी पत्नि श्री भागचंद
3. डालचन्द पुत्र श्री भागचंद
4. गौरीशंकर पुत्र श्री भागचंद
5. विनोद पुत्र श्री भागचंद
6. श्रीमती पिंकी पुत्री श्री भागचंद
   समस्त जाति तेली निवासी बीर तहसील व जिला अजमेर।
7. मैसर्स हिन्दुस्तान हाईड्रो कार्बन्स जरिए प्रोपराईटर श्री प्रमोद बिहारी माथुर पुत्र श्री गणेशीलाल माथुर, जाति कायस्थ निवासी नाका मदार, अजमेर।
8. मंगल सिंह पुत्र श्री गंगादीन (फौत)
   8/1 श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व0 श्री मंगलसिंह
   8/2 खेमचंद उर्फ पिन्ट पुत्र स्व0 श्री मंगलसिंह
   8/3 जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मंगलसिंह
   8/4 नवल पुत्र स्व0 श्री मंगलसिंह
   8/5 श्रीमती नीतू पुत्री स्व0 श्री मंगलसिंह
   समस्त निवासीगण जाति कुम्हार निवासी 786/16, रावण की बगीची, आशागंज रोड तहसील व जिला अजमेर।
9. पवन कुमार जैन पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद जैन निवासी टीकमगंग, केसरगंग, अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीदार, अजमेर।
11. प्रेमचंद पुत्र श्री लादू जाति तैली निवासी बीर तहसील व जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

12. लक्ष्मण पुत्र नन्दू पत्नि स्व0 श्री छोटूलाल साहू निवासी हींजडों का मौहल्ला, देहली गेट, अजमेर।
13. श्रीमती अनोपी पुत्री श्री रामसुख जाति तेली निवासी बीर तहसील व जिला अजमेर।
14. गजानन्द पुत्र मनभर पत्नि कालू
15. पप्पू पुत्र मनभर
16. मुकेश पुत्र मनभर
17. त्रिलोक पुत्र मनभर
    समस्त जाति तेली मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 18.07.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर राजस्व वाद संख्या 42/2011

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन0के0जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8/2 से 8/4
3. श्री अमन झंवर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9
4. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 10
5. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8/1, 8/5, 11 से 17 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—12.11.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2011 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीयागण/अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट ने प्रतिवादीगण/शेष रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वादपत्र के कथनों पर आधारित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 13/2012 भी प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 4 मंगलसिंह पुत्र गंगादीन के फौत होने की सूचना दिनांक 15.03.2018 को प्रस्तुत हुई। वादीयागण की ओर से दिनांक 10.01.2019 को नाम तर्क करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस समाअत कर मंगल सिंह की हद तक वाद एवं प्रार्थना पत्र अबैट फरमा दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2011 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8/1, 8/5, 11 से 17 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.03.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मात्र यह प्रकट किया गया कि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 4 श्री मंगल सिंह का स्वर्गवास हो चुका है जो प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया परिपूर्ण नहीं था एवं कतई अपूर्ण तथा अवैधानिक होने से प्रथम दृष्ट्या संधारण योग्य भी नहीं था इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष निवेदन किया गया कि वर्तमान अपीलांट अशिक्षित महिला है जो कृषि कार्य हेतु कभी ग्राम बीर एवं कभी अपने ससुराल निवास करती है एवं मृतक आशागंज, अजमेर का निवासी था जिसे अपीलांट नहीं जानती है एवं न ही उसके वारिसान बाबत् जानकारी है अतः मृतक के वारिसान के नाम एवं अद्यतन पता माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुती हेतु प्रतिवादीगण को आदेशित फरमाया जावे लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष मृतक के

वारिसान के नाम एवं अद्यतन पता एवं मृत्यु दिनांक सहित पूर्ण प्रारूप अर्थात् आदेश 22 नियम 10 (ए) जा.दी. के अनुसार कभी प्रस्तुत नहीं किया गया इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजर अंदाज कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण/रेस्पोण्डेन्टस की ओर से आदेश 22 नियम 10 (ए) जा. दी. के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न कोई शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र स्वयं ही अपूर्ण होकर अपठनीय एवं शून्य होकर संधारण योग्य नहीं था परन्तु उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजर अंदाज कर शून्य प्रार्थना पत्र को अवैधानिक रूप से स्वीकार करते हुए मृतक मंगल सिंह की हद तक वादपत्र अबैट करने का आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर दिया गया जो काबिल निरस्तनीय है। स्वयं प्रतिवादीगण/रेस्पोण्डेन्टस द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी श्री मंगल सिंह के स्वर्गवास हो जाने की सूचना वादी अभिभाषक को प्रदान कर दी गई है अर्थात् मृतक की मृत्यु दिनांक तथा उसके वारिसान के नाम एवं अद्यतन पता प्रस्तुत नहीं करना स्वयं स्वीकार कर रहे है केवल मात्र मृत्यु की सूचना ही प्रदान की गई है जो अपूर्ण प्रार्थना पत्र था जिस पर विश्वास कर अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र मंगल सिंह की हद तक अबैट फरमाने का आदेश पारित कर दिया। प्रतिवादीगण/रेस्पोण्डेन्टस द्वारा प्रस्तुत सूचना आदेश 22 नियम 10 ए जा.दी. के तहत प्रस्तुत नहीं की गई थी जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था इसी कारण सम्पूर्ण सूचना के अभाव में वादीयागण की ओर से मृतक श्री मंगल सिंह का नाम तर्क फरमाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था जिसे नजर अंदाज कर उक्त प्रार्थना पत्र को अनिर्णित छोडकर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है। वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र वास्ते बंटवारा हेतु भी प्रस्तुत किया गया है एवं वादग्रस्त आराजीयात वादीयागण की पुश्तैनी आराजीयात है जिससे बंटवारा वाद अबैट नहीं होता है इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजर अंदाज कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है। वादीयागण आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर, बुजुर्ग तथा ग्रामीण परिवेश की कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करने वाली महिलाऐं है जिन्हें कायम मुकाम कार्यवाही, मियाद अधिनियम, अबैटमेन्ट से संबंधित कानून बाबत् कोई जानकारी नहीं है जिससे न्यायहित में अबैटमेन्ट सैटअसाईड फरमाया जाकर परीक्षण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित फरमाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अपीलांट् द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 के विरूद्ध पूर्व में कोई भी अपील माननीय न्यायालय में पेश नहीं की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2011 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1981 पेज 487, आरआरडी 1983 पेज 60 प्रस्तुत किए हैं।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि दिनांक 15.03.2018 को आवेदन पत्र बाबत प्रतिवादी श्री मंगल सिंह के स्वर्गवास की सूचना का प्रार्थना पत्र वादी अधिवक्ता को दिलवाई गई।

जिसमें अप्रार्थी श्री मंगलसिंह का स्वर्गवास दिनांक 26.02.2018 को हो जाने बाबत प्रस्तुत किया गया जिसके परिपेक्ष्य में वादी अधिवक्ता द्वारा कोई उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब/कायम मुकाम कार्यवाही नहीं कि जाने से वादी का वाद अबेट हो जाने से वाद खारिज हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 4 की हद तक वाद अबेट किए जाने से निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2022(एनओसी)827(ऑल) पेज 391, राजस्थाई हाई कोर्ट, जयपुर बैंच आरएलडब्ल्यू 2007(1)आर0जे0 पेज 571, 2019 आरबीजे 261 प्रस्तुत किए हैं।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4/रेस्पोडेंट संख्या 8 की दौराने वाद मृत्यु हो गई थी। अप्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वाद अबेट होने से खारिज किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस पर मनन कर अप्रार्थी संख्या 4/रेस्पोडेंट संख्या 8 की हद तक वाद को दिनांक 18.07.2022 को अबेट किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया है कि दिनांक 15.03.2018 को प्रतिवादी मंगलसिंह के स्वर्गवास की सूचना का प्रार्थना पत्र वादी अधिवक्ता को दिलवाया गया। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा केवल मात्र मृत्यु की सूचना ही प्रदान की गई है जो अपूर्ण प्रार्थना पत्र था जिस पर विश्वास कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र मंगल सिंह की हद तक अबैट किए जाने का आदेश पारित किया गया।

रेवेन्यू कोर्ट मेनुअल के अनुसार 22(4) के साथ शपथ पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, परंतु प्रतिवादी/रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त दोनों ही दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.03.2018 पर आदेश 22 नियम 4 के प्रार्थना पत्र का कोई अंकन नहीं किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलांट/वादी को रिसीव करवाई गई हो इस बाबत भी पत्रावली पर कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 की प्रति प्रतिवादी संख्या 7 के अभिभाषक को रिसीव करवाई गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी को अप्रार्थी संख्या 4 की मृत्यु की जानकारी नहीं रही थी क्यों कि आदेशिका व पत्रावली में कहीं पर भी यह नहीं पाया गया

है कि उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति उनके अभिभाषक द्वारा प्राप्त की गई हो।

प्रतिवादी/रेस्पोडेंट्स की ओर से आदेश 22 नियम 10ए जा0दी0 के तहत कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र स्वयं ही अपूर्ण होकर अपठनीय एवं शून्य होकर संधारण योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिंदु को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 की हद तक वाद को अबेट किए जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का गुणावणुण पर निस्तारण करना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को तकनीकि बिंदु पर खारिज किया गया। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को तकनीकि बिंदु पर खारिज किए जाने से प्रार्थी/अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे हैं। चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित हुई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2011 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान को सुनवाई का विधिसम्मत अवसर प्रदान कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में आवश्यक बिंदुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदुओं का विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.12.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर